**धारा 25 प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन आवेदन पत्र**

जिला न्यायालय में पुनरीक्षण के प्ररूप

न्यायालय जिला न्यायाधीश ............

सिविल पुनरीक्षण सं. ................सन्……………….

अन्तर्गत धारा 25 प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887

**अबक**  ........ आवेदक

बनाम

**कखग**  ......... विरोधी पक्षकार

मूल वाद सं....................................सन् ...................................निर्णय ........................................

एवं डिक्री दिनांकित .........................................................................के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र

वाद का मूल्यांकन………………………………......................................................................................…रूपये

वाद की प्रकृति : परक्राम्य लिखत (चैक) के माध्यम से दिये गये धन की वसूली।

श्रीमान् ,

लघुवाद....... द्वारा पारित किये गये मूलवाद सं. .......... में निर्णय एवं डिक्री दिनांकित.............. विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत किया जाता है।

**पुनरीक्षण के आधार**

1. क्योंकि विद्वान उपर्युक्त विद्वान विचारण न्यायाधीश ने वादी/आवेदक की ओर से जोर डाले गये तर्क के आधार पर बिल्कुल यह विचार नहीं किया है कि परक्राम्य लिखत यह कि चैकों पर आधारित धन की वसूली के लिए एक मामला है, परक्राम्य लिखत के लिए विचार करने को साबित करना उस प्रतिवादी पर होता है जिसमें प्रतिवादी पूर्णतया असफल हो गया है। और ऐसे रूप में विद्वान न्यायाधीश का निर्णय एवं डिक्री विधितः और उसकी अधिकारिता के सदोष प्रयोग में बिल्कुल भ्रमित है।
2. क्योंकि संव्यवहार की परक्राम्य लिखत द्वारा मंजूरी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के अधीन रकम की वसूली के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान करके संघ विधानमण्डल द्वारा पोषण किया जाता है, यद्यपि तथापि इस मामले को नियमित प्रक्रिया के अधीन दाखिल किया जाता है जिसको आवेदक ने संक्षिप्त प्रक्रिया के अधीन एक वाद के रूप वाद का संव्यवहार करने के लिए एक आवेदन पत्र के माध्यम से वाद के पश्चात्वर्ती एक चरण पर संपरिवर्तित करने का प्रयास किया लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने उस आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया और उसकी अधिकारिता के सदोष प्रयोग में पहले ही कार्य किया।
3. क्योंकि विधि के अधीन वादी चैकों के माध्यम से दिये गये धन को वापस करवाने का हकदार है जिसको प्रतिवादी ने उसके लेखे में जमा की गयी होने के लिए आदेश x नियम 2, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन कथन में न्यायालय में स्वीकृत किया है।

विद्वान न्यायाधीश ने मामले के इस पहलू पर विचार करने में असफल हो गया है और उसके निर्णय में तथ्य के असुसंगत एवं अग्राह्य विषयों एवं भ्रमों पर विचार दोषपूर्ण ढंग से किया है।

1. क्योंकि विद्वान न्यायाधीश उ0 प्र0 धन लेनदार अधिनियम के अधीन वर्जित किया जाने वाला वाद अभिनिर्धारित किया जिस प्रश्न का प्रतिवादी के प्रारम्भिक तौर पर आक्षेप | आवेदन पत्र पर न्यायालय द्वारा पहले से ही विनिश्चय किया जा चुका है। विद्वान न्यायाधीश को धन उधार देने की प्रकृति पर भी भ्रमित हो गया है और उस समय वादी के कथन को गलत पढ़ा है जब अभिलेख पर यह कोई साक्ष्य नहीं है कि उधार देने वाले धन कारबार के साधारण अनुक्रम में किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण पर धन दिया है।
2. क्योंकि विद्वान न्यायाधीश ने दोषपूर्ण ढंग से अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी ने वादी को एक ट्रक किराये पर दिया है और राम 1,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से तथा उन्होंने इसको अंशकालिक कार्य में लगाया यतः वे दोनों इस अभिलेख पर किसी साक्ष्य के बिना उ0 प्र0 रोडवेज में क्रमशः कण्डक्टर एवं बस चालक है कि उन्होंने अंशकालिक ऐसी एक ट्रक को सदैव कार्य में लगाते थे।
3. क्योंकि विद्वान न्यायाधीश ने प्रतिवादी के कथन की अनवेक्षा की कि उसने किसी लेखा बहियों का पोषण नहीं किया और न वादी को किराये पर ट्रक देने तथा अभिकथित ट्रक के किराया धन के बारे में उसकी बहियों में किसी रकम को प्राप्त करने से सम्बन्धित उसके कारबार के साधारण अनुक्रम में रखे गये उसके अभिलेखों में से किसी कोई प्रविष्टि प्रस्तुत की है या उसको पेश करने में समर्थ हुआ है।
4. क्योंकि विद्वान न्यायाधीश अभिलेख पर साक्ष्य का निरीक्षण किये बिना पर सम्पूर्ण मामले पर विचार किया और निर्णय एवं डिक्री विद्वान लघुवाद न्यायाधीश द्वारा पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री विधि के अनुसार नहीं है।

**प्रार्थना**

अतएव यह सादर निवेदन किया जाता है कि यह आदरणीय न्यायालय उपर्युक्त मामले के अभिलेख को मंगाने तथा उपर्युक्त मामले में विद्वान लघुवाद न्यायाधीश के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने तथा वादी/आवेदक के वाद की डिक्री पारित करने के लिए प्रसन्न हो।

**दिनांक..................... आवेदक के लिए अधिवक्ता**